रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 61] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 30, 1998/अग्रहायण 9, 1920
No. 61] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 30, 1998/AGRAHAYANA 9, 1920

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1998

सं. टी ए एम पी/4/98-एम ओ पी टी.— महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण संलग्न अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा प्रशुल्क में दक्षता से जुड़ी वृद्धि के लिए मुरगांव पत्तन न्यास के आवेदन को अनुमोदित करता है।

अनुसूची

मुरगांव पत्तन न्यास (एम ओ पी टी) ..... आवेदक

बनाम

गोवा खनिज अयस्क निर्यातक एसोसिएशन ..... गैर आवेदक
(जी एम ओ ई ए)

आदेश

(24 नवम्बर, 1998 को पारित)

यह मामला एम ओ पी टी के जलयान संबद्ध प्रभारों के संशोधन के प्रस्ताव से संबंधित है। इस मामले पर 27 जुलाई, 1998 को निर्णय किया गया था जब प्रशुल्क में 11% वृद्धि का अनुमोदन किया गया था। आदेश पारित करते समय प्राधिकरण ने जलयान संबद्ध प्रभारों में दक्षता से जुड़ी वृद्धि को लागू करने का सुझाव भी दिया था। एम ओ पी टी और जी एम ओ ई ए से अनुरोध किया गया था कि वे सुझाए गए फार्मूले का उपयोग प्रस्थान-बिन्दु के रूप में करें और प्रचालन योग्य माडल तैयार करें। यह कार्य नहीं हो पाया। एम ओ पी टी द्वारा इस प्रयोजन के लिए कई बैठकें आयोजित करने के बावजूद कोई सहमति प्राप्त माडल तैयार नहीं हो सका। इसी संदर्भ में ही एम ओ पी टी ने इस प्राधिकरण द्वारा सुझाए गए फार्मूले को अपनाने का प्रस्ताव किया है।

2. हमने अपने पहले आदेश में कहा था कि किसी करार के अभाव में यदि पक्षकार इसका अनुभव करने के इच्छुक हों तो प्राधिकरण द्वारा दिए गए फार्मूले को अपनाया (प्रायोगिक तौर पर) जा सकता है। यह कार्य समय की बचत करने और प्राधिकरण को दोबारा करार भेजे बिना इसका कार्यान्वयन करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए किया गया था। दुर्भाग्यवश, पक्षकारों के बीच कोई करार न होने और हमारे फार्मूले का प्रयोग करने की इच्छा भी न होने से इस प्राधिकरण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि इस मामले में एक नया आदेश पारित किया जाए।

3.1 जैसा कि हमने पहले ही बार-बार जोर दिया है, यह प्राधिकरण प्रचालन दक्षता में सुधार लाने को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है और बेहतर तथा उच्च स्तर का निष्पादन प्रेरित करने के लिए प्रशुल्क ढांचे में न्यायोचित उपबंधों का समर्थन करने के लिए प्रवृत्त है । एम ओ पी टी ने प्रचालन दक्षता में स्वीकार्य रूप से पर्याप्त सुधार किया है । पत्तन प्रयोक्ताओं ने भी इसे स्वीकार किया है । अत: प्राधिकरण, प्रचालन दक्षता में सुधार लाने के लिए प्रशुल्क वृद्धि का उपयोग करने हेतु एक प्रचालनीय माडल तैयार करने के लिए इस अवसर का उपयोग करने को उत्सुक है । दुर्भाग्यवश इस प्रस्ताय के तर्क को संबंधित पक्षकारों द्वारा पूरी तरह नहीं समझा गया है ।

3.2 प्रस्ताय को स्वीकार करने से इस आधार पर मना कर देना कि विलम्ब आदि के लिए कारणों का निश्चित रूप से बताने में कठिनाई होगी, 'पर्याप्त विचार' पर अच्छी पहल करने से भागना होगा । यहां यह उल्लेख करना संगत होगा कि हमने स्वयं अपने 27 जुलाई,98 के आदेश में ऐसी व्यावहारिक कठिनाइयों का हवाला दिया था ।

4.1 जी एम ओ ई ए ने अपने मौखिक प्रस्तुतिकरण में हमें बताया है कि उन्होंने पूर्णत: विश्वसनीय सूचना के आधार पर एक फूलप्रूफ माडल तैयार करने के लिए व्यावसायिक परामर्शक लगाया है । हम इस पहल का स्वागत तो करते हैं किन्तु इस (नई) पहल के शुरूआत को स्थगित कर देने (अनिश्चित अवधि तक) के लिए इसे पर्याप्त कारण नहीं मानते ।

4.2 हमारे द्वारा सुझाए गए फार्मूले का प्रचालन करने से प्राप्त अनुभव के आधार पर व्यक्तिपरक निर्धारण तथा अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों को कम करने के लिए सुधार किया जा सकता है । और जैसे ही जी एम ओ ई द्वारा तैयार किया जा रहा 'माडल' उपलब्ध हो जाएगा, संदर्भाधीन आगे और परिष्कार किया जा सकता है ।

5. अंतत: और ऊपर दिए गए कारणों से हमारे दिनांक 27 जुलाई, 98 के आदेश के पैरा (11.1) दिए गए ब्यौरे के अनुसार जलयान-संबद्ध प्रभारों में दक्षता से जुड़ी वृद्धि को स्वीकार करने के लिए एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है । इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि इस प्रस्ताव के बारे में पक्षकारों को पर्याप्त नोटिस दिया जा चुका है, इसे स्वीकार करने के लिए 30 दिन की अवधि देने की कोई आवश्यकता नहीं है । एम ओ पी टी, भारत के राजपत्र में इस आदेश की अधिसूचना की तारीख से इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकृत है ।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[विज्ञापन/III/4/असा./143/98]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 1998

No. TAMP/4/98-MOPT.— In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby approves the application of Mormugao Port Trust for the efficiency-linked increase in tariff as in the Schedule appended hereto.

SCHEDULE

The Mormugao Port Trust (MOPT) ... **Applicant**

V/s

The Goa Mineral Ore Exporters' Association (GMOEA) ... **Non-Applicant**

ORDER

(Passed on this 24th day of November, 1998.)

This case relates to the proposal of the MOPT about revision of its vessel-related charges. The case was decided on 27 July 98 when an 11% increase in the tariff was approved. While passing the order, the Authority had also suggested for adoption an efficiency-linked increase in the vessel-related charges. The MOPT and the GMOEA were requested to use the suggested formulation as a starting point and develop an operable model. This has not happened. In spite of several meetings convened for the purpose by the MOPT, it has not been possible for an agreed model to emerge. It is in this context that the MOPT has proposed adoption of the formulation suggested by this Authority.

2. In our earlier order, we had stated that in the absence of any agreement and if the parties were willing to give it a try, the formulation given by the Authority might be taken up for (experimental) adoption. This was done to save

time and pave the way for implementation of the arrangement without a further reference to the Authority. Unfortunately, in the absence of any agreement between the parties, even about willingness to give our formulation a try, it has become necessary for this Authority to pass a fresh order in the matter.

3.1. As has repeatedly been stressed by us, this Authority is committed to encouraging improvements in operational efficiency and will be inclined to support justifiable provisions in the tariff structure to motivate better and higher levels of performance. The MOPT has admittedly effected significant improvements in operational efficiency. The port-users have also acknowledged it. The Authority is, therefore, keen to utilise this opportunity for developing an operable model to use the tariff-leverage for effecting improvements in operational efficiency. Unfortunately, the logic of this proposition has not been fully appreciated by the parties concerned.

3.2. To refuse to entertain the proposition on the ground that there will be difficulties in determining definitively the reasons for delay, etc., may amount to scuttling a good initiative on inadequate consideration. It is relevant to point out here that, we had ourselves referred to such practical difficulties in our order of 27 July 98.

4.1. In their verbal submission to us, the GMOEA have stated that they have engaged a professional Consultant to develop a foolproof model based on totally reliable data. While we do welcome this initiative, we do not consider it an adequate reason for (indefinitely) postponing commencement of this (new) initiative.

4.2. Based on experience gained from operationalisation of the formulation given by us, improvements can be made to reduce subjectivity of assessments and other practical difficulties. And, as and when the 'model', being developed by the GMOEA, becomes available, further refinements can be introduced with reference thereto.

5. In the result, and for the reasons given above, the efficiency-linked increase in the vessel-related charges as detailed in para (11.1) of our order dated 27 July 98 is hereby approved for adoption. In view of the fact that the parties have had sufficient notice of this proposition, there will be no need for it to be given a 30-day lead-time for adoption. The MOPT is authorised to implement this formulation with effect from the date of notification of this order in the Gazette of India.

S. SATHYAM, Chairman

[Advt/III/IV/Exty/143/98]

3210 GI/98-2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998.